न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए/72/2015

उनवान

1. रामराज पुत्र रामरतन मीणा निवासी लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती फुली देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. मुकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 43/2014 निर्णय दिनांक 25.5.2015

अधिवक्तागण :—

1. श्री मनीष कांटिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री नीरज पाराशर, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. .श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 18.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी 1 व /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर के बेरून हल्के में स्थित आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

71 रकबा 07 बीघा भूमि का अलोटमेण्ट दिनांक 31.1.1983 को विपक्षी संख्या 1 /रामरतन आत्मज तेजा मीणा निवासी लुहारीखुर्द तहसील जहाजपुर को करने में भारी भूल की है। इस कारण उक्त किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त आवंटनुशुदा भूमि पर आवंटन दिनांक से आज तक विपक्षी संख्या 1 का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही काश्त ही की गई है। क्योंकि विवादित आराजी पर विगत 35–40 वर्ष से प्रार्थीगण अपने पति व पिता स्व0 लक्ष्मीनारायण जी के वक्त से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रमाण के रूप में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 के नोटिस भी व पेनेल्टी की रसीद भी पेश की जा रही है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। भूमि का अलोटमेण्ट करते समय न तो अलोटमेण्ट कमेटी की पूरा कोरम था एवं न ही कोई किसी प्रकार की कोई नियमों की पालना ही की गई है। इस प्रकार उक्त किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा है । वादग्रस्त आराजी नम्बर 71 रकबा 07 बीघा विपक्षी संख्या 1 के नाम गलत तरीके से खातेदारी हक से दर्ज बताई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया उक्त तथाकथित भू आवंटन निरस्त कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को आदेशित किया गया कि उक्त भू आवंटन मामले में यह जांच करे कि उक्त प्रश्नगत आराजी भूमि जिसको आवंटन हुई है उस पर वह काबिज है या नही यदि वह काबिज नहीं है तो आवंटन निरस्त किया जाता है । यदि अपीलार्थी आवंटी किसी अन्य खसरा नम्बर पर काबिज है तो भी आवंटन निरस्तनीय है किन्तु यदि भूमिहीन या लघु सीमान्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काश्तकार हैं तो वक्त आवंटन अप्रार्थी आवंटी को प्राथमिकता दी जावे। भूमि की पैमाईश कर यह भी स्पष्ट किया जावे कि जिस भूमि पर प्रार्थीगण अपना कब्जा होना बताते हैं और भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये हैं और वे वास्तव में उसी खसरा नम्बर के हैं जो प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लिखे गये है । उपखण्ड अधिकारी मामले में जांच कर अपने स्तर पर इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समुचित आदेश पारित करें एवं वक्त आवंटन इस प्रकरण को आवंटन कमेटी के समक्ष रखकर पुनः निर्णय लेवे। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी एवं सपठित आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही है एवं निवेदन किया है कि रामरतन पिता तेजा मीणा निवासी लुहारी खुर्द को ग्राम लुहारी खुर्द तहसील जहाजपुर में आराजी नम्बर 71 में रकबा 7 बीघा का आवंटन हुआ । वर्ष 1989 में उक्त भूमि आवंटी रामरतन के विरासत से श्रीमती राधी पत्नी तेजा मीणा के नाम से दर्ज हो गई व अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय्र पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त किया । तबसे उक्त भूमि अपीलार्थी के कब्जेकाश्त में चली आ रही है व वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम से दर्ज है। उक्त तथ्य की रेस्पोडेण्ट को भलीभॉति जानकारी थी। क्योंकि रेस्पोडेण्ट व अपीलार्थी एक ही गांव के व रिश्तेदार होते हुए भी रेस्पोडेण्ट ने जानबूझकर वास्तविक तथ्यों को छिपा अधीनस्थ न्यायालय में कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व उसमें अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया । चूंकि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय की है इसलिए रामरतन पिता तेजा मीणा के सम्पूर्ण हक अधिकार अपीलार्थी में निहित हो गये हैं। जिससे अपीलार्थी को अपील करने का पूर्ण अधिकार है। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का सद्भाविक क्रेता है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है। जिसे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल होकर न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लुहारी खुर्द तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नम्बर 71 रकबा 7 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 31.1.1983 को विपक्षी संख्या 1 रामरतन को करने में भारी भूल की है। उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.5.2015 को निर्णय पारित किया । जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटी रामरतन पुत्र तेजा मीणा को ग्राम लुहारी खुर्द तहसील जहाजपुर में आराज नम्बर 71 रकबा 7 बीघा भूमि का विधिवत आवंटन हुआ व आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई व वक्त आवंटन से ही आवंटी का विधिवत कब्जा चला आ रहा था। सन् 1989 में आवंटी रामरतन पुत्र तेजा मीणा के बजाय विरासत से खाता आवंटी की मॉ राधी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बेवा तेजा मीणा के नाम रद्दोबदल किया गया व राधी बेवा तेजा मीणा से अपीलार्थी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने वास्तवित तथ्यों को छिपाकर न्यायालय के समक्ष मिथ्या व असत्य आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व न्यायालय के समक्ष वर्तमान वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं की । आवंटन करीब 35–36 वर्ष पूर्व हुआ । इतने लम्बे समय तक रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसका अपने प्रार्थना पत्र में कहीं उल्लेख नहीं किया व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र जो करीब 35–36 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया वह मियाद बाहर होने से स्वतः ही खारिज योग्य था। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने वास्तविक तथ्य छिपा मिथ्या व असत्य आधारों पर प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था । आवंटी के पश्चात राधी पत्नी तेजा मीणा के नाम खाता रद्दोबदल हो जाने व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमि अपीलार्थी द्वारा क्रय किये जाने की विधिवत जानकारी रेस्पोडेण्टगण को थी क्योंकि रेस्पोडेण्ट व अपीलार्थी एक ही गांव के होकर रिश्तेदार हैं फिर भी अधिनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधार पर अपीलार्थी को कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2001 पेज 126, आर आर डी 2003 पेज 239, आर एल डब्ल्यू 2009 (1) पेज 1 व 2, आर एल डब्ल्यू 2003 (आर जे) पेज 265, आर एल डब्ल्यू (आर जे) पेज 487 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीगण का पिछले 40 वर्षो से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रत्यर्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त रहा है इस बाबत प्रत्यर्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में उनके विरूद्ध की गई राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नियम 91 के नोटिस की फोटो प्रति एवं पेनेल्टी की रसीदें प्रस्तुत की है। आवंटन के पश्चात वादग्रस्त आराजी की खातेदारी गलत तरीके से प्रदान की गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड को देखकर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ध्यानपूर्वक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सपठित आदेश 1 नियम 10 एवं 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति चाही है। चूंकि अपीलार्थी अपीलाधीन प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होकर वादग्रस्त आराजियता का रजिस्टर्ड क्रेता है तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2070–73 अनुसार खाता संख्य ।305 के खसरा नम्बर 71/4 रकबा 7 बीघा गैर मुमकिन मगरी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसके प्रकरण में हक हित निहित है उसके बावजूद उसे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। जिससे उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया । अतः अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

12. आवंटी रामरतन मीणा आत्मज तेजा मीणा को ग्राम लुहारी खुर्द तहसील जहाजपुर की आराजी नम्बर 71 में 7 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 31.1.1983 को आवंटी कमेटी द्वारा आवंटी पात्रता की जांच कर विधिवत रूप से किया गया । आवंटन के उपरान्त दिनांक 8.2.1983 को आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया । जिसका नामान्तरकरण संख्या 450 द्वारा राजस्व रेकार्ड में 7 बीघा भूमि को आवंटी का नाम गैर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड किया गया । राजस्व रेकार्ड में उसके उपरान्त रामरतन के फौत हो जाने एवं उसके कोई औलाद नही होने से आवंटी रामरतन की माता राधी बेवा तेजा मीणा के नाम विरासत से वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 540 दिनांक 7.6.89 को खोला गया। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी को खातेदारी राधी पत्नी तेजा मीणा से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये दिनांक 22.11.1999 को क्रय किया है। इस बाबत अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जो न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी को अपीलार्थी द्वारा खातेदारी राधी पत्नी तेजा मीणा से क्रय करने के विरूद्ध कोई कथन नहीं किया है । अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जाकाश्त होना बताया है। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार है एवं वादग्रस्त आराजी तत्कालीन खातेदार राधी पत्नी तेजा मीणा से अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.11.1999 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया जाना प्रमाणित है।

14. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है उसका आधार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण को जारी उनके विरूद्ध जारी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 के नोटिस है। जिसमें फूली देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण द्वारा संवत 2068 में आराजी नम्बर 1467/71 में से रकबा 3.00 , वर्ष 2009 में भी आराजी नम्बर 1467/71 में से रकबा 3.00 भूमि पर , इसी प्रकार संवत 2069 में आराजी नम्बर 1467/71 में से रकबा 2.10 बीघा भूमि,संवत 2066 में आराजी नम्बर 1467/71 में से रकबा 3.10 बीघा भूमि पर अतिचार के फलस्वरूप उक्त नोटिस प्रत्यर्थीया को जारी किये गये है। वादग्रस्त आराजी का आवंटन आवंटी को वर्ष 1983 में किया गया है।

15. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि आवंटी रामरतन को आराजी नम्बर 71 में से 7 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है। जबकि प्रत्यर्थीया द्वारा आराजी नम्बर 1467/71 में संवत 2069 में 2 बीघा 10 बिस्वा पर एवं वर्ष 2009 में एवं संवत 2068 में 3.00 एवं बीघा भूमि पर एवं संवत 2066 में एक बार 3.10 बीघा पर अतिचार किया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रत्यर्थीया फूली देवी को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गये है। जबकि वादग्रस्त आराजी का आवंटन 1983 में आवंटी रामरतन को किया गया है एवं उसकी मृत्यु होने पर उसकी माता राधी बेवा तेजा मीणा के नाम वादग्रस्त आराजी वर्ष 1989 में दर्ज की गई है। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी वर्ष 1999 में क्रय की गई है। अपीलार्थी द्वारा क्रय सुदा आराजी नम्बर 71/4 है। जबकि प्रत्यर्थीया द्वारा अतिक्रमित भूमि के खसरा नम्बर 1467/71 है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन नही कर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

16. आवंटी को वादग्रस्त आराजियात का आवंटन वर्ष 1983 में किया गया है उसके 10 वर्ष उपरान्त तो आवंटी को आवंटन की शर्तो की पालना में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जिसे निरस्त किये जाने के लिए यह तथ्य साबित करना आवश्यक होता है कि आवंटी ने आवंटन छल, कपट अथवा मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा कराया है। अपीलाधीन प्रकरण में आवंटन के 31 वर्ष बाद में आवंटन को निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है वह भी अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत किया है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सशर्त आदेश पारित किया है। जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

17. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के निर्णय से पूर्व वर्तमान जमाबंदी व इस आधार पर आवश्यक पक्षकार संस्थापित नहीं कर भारी विधिक त्रुटि की है। जब वर्तमान जमाबंदी में रामराज पुत्र रामरतन मीणा साकिन देह खातेदार का उल्लेख है, फिर रिकार्डेड खातेदार को सुने बिना किया गया कोई भी फैसला विधिनूकुल नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 27 पर अधिवक्ता प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम (4) जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र को अबेट हो जाने से खारिज किये जाने हेतु संलग्न है। परन्तु इस प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रखा जाकर अपीलाधीन निर्णय में शामिल नहीं किया गया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि आवंटी फौत हो चुका है, व अन्य व्यक्ति रिकार्ड पर है । ऐसे में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) का बिना पूर्ण विवेचन निर्णित किया जाना भी उचित नही माना जा सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि आवंटन के विरूद्ध अपील में आवंटन पत्रावली ही तलब नहीं की गई। आवंटी को दिनांक 31.1.1983 को आवंटन के उपरान्त सद्भावी काश्तकार काश्तकार होने व खातेदारी अधिकार प्राप्त होने बाबत कोई जांच रिपोर्ट भी पत्रावली पर नहीं है। वादीगण का मुख्य कथन यही है कि विपक्षी रामरतन का भूमि पर आवंटन उपरान्त से कब्जा नहीं है परन्तु कब्जे बाबत कोई राजकीय रिपोर्ट या प्रार्थीगण के पक्ष में कोई साक्ष्य दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

18. अपील की बहस के दौरान यह तथ्य प्रकट हो चुके हैं कि अपीलाण्ट आवंटित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है, तथा रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि के धारा 91 के नोटिस आवंटित भूमि के खसरा नम्बर 71/4 से भिन्न है। ऐसे में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) स्वतः ही डिफेक्टिव हो कर खारिज योग्य है।

19. चूंकि प्रार्थना पत्र सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत ही नहीं हुआ है अतः इस आधार पर किया गया निर्णय उचित नहीं माना जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

20. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का भी विवेचन किया गया । अपीलाधीन निर्णय ठोस तथ्यों पर आधारित होर परिपूर्ण निर्णय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा कब्जे को लेकर अपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये हैं, अतः यह निष्कर्षित नहीं हो सका कि कब्जा किसका है ? अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को आदेशित किया है कि कब्जे की जांच करें, तथा कब्जा नहीं होने पर आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का पूरा आदेशही सशर्त है तथा ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्रार्थीगण का दायित्व था कि अपना प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों से साबित करते, अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट भी तलब की जा सकती थी परन्तु डिफेक्टिव ऑर्डर पारित किया गया है। जो खारिज योग्य है।

21. चूंकि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/क्रेता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाया था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसके कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में साक्ष्य एवं दस्तावेजात का पूर्ण विवेचन नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नही किया जा सकता है।

22. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.2015 को निरस्त किया जाता है।

23. निर्णय आज दिनांक 18.6.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

18/6/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)